Crim - 1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत — अतिरिक्त जिला कलक्टर, धौलपुर (राज0)

कृष्णकान्त बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी धौलपुर

किस्म मुकदमा प्रथम अपील, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मुकदमा नम्बर 01 / 2020
(आरसीएमएस न0 2020 / 00001)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
27-08-2020	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक आरटीआई / 2020 / 2204 दिनांक 25.8.2020 के जरिये टिप्पणी / रिपोर्ट प्राप्त हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी श्री कृष्णकान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई, सूचना उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के पत्र क्रमांक आरटीआई / 2020 / 1601 दिनांक 08.06.2020 के जरिये अपीलान्ट श्री कृष्णकान्त को जरिये डांक उपलब्ध करा दी गई है। बिन्दू संख्या–4 के सम्बध में प्रार्थी का मूल आवेदन पत्र श्रीमान जिला कलक्टर महोदय धौलपुर को आरटीआई 2005 की धारा 6(3)के तहत स्थानांतरित किया जाना बताया है। सूचना पत्र की प्रति संलग्न कर पेश की है। इस प्रकार अपीलान्ट को सूचना जरिये डांक भिजवाई जा चुकी है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। अतः प्रथम अपील, अपीलान्ट इसी स्तर पर निस्तारित की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी धौलपुर से प्राप्त सूचना रिपोर्ट की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।	

नरेन्द्र कु0 वर्मा
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर